

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 362/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 16.09.2026

- ☐ थाना मुबारकपुर एवं अतरौलिया पुलिस की प्रभावी कार्रवाई में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
- ☐ मदरसा संचालन के नाम पर फर्जी व कूटरचित प्रपत्र तैयार कर धोखाधड़ी के मुकदमे में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- ☐ किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 15.09.2026 को वादी राहत हुसैन पुत्र फजलुर्रहमान, निवासी नेवादा, थाना मुबारकपुर द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर फर्जी एवं कूटरचित प्रपत्र तैयार कर मदरसा संचालन एवं प्रबंध समिति का पंजीकरण कराने के संबंध में थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 339/2026 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

इसी प्रकार दिनांक 03.09.2026 को वादिनी थाना अतरौलिया द्वारा अपनी किशोरी को दिनांक 31.08.2026 को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 342/26 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त पवन कुमार का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 16.09.2026 को थाना मुबारकपुर पुलिस द्वारा उ0नि0 रामचरन यादव मय हमराह उ0नि0 विवेक सिंह, हे0का0 त्रिलोकीनाथ सिंह एवं का0 सुनील कुमार गुप्ता के साथ वांछित अभियुक्त जमील अहमद नजीरी (प्रबंधक) एवं जलीस अहमद (प्रधानाचार्य) को मदरसा जामिया अरबिया ऐनुल इस्लाम, नेवादा के पास से समय 13:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

वहीं थाना अतरौलिया पुलिस द्वारा व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 गोविन्द कुमार मौर्या द्वारा वांछित अभियुक्त पवन कुमार पुत्र हौशिला प्रसाद, निवासी करनपुर, थाना अहरौला को गौरी पुलिया से समय 09:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- थाना रौनापार एवं तरवां पुलिस की कार्रवाई में चोरी के मामलों में 05 अभियुक्त गिरफ्तार
- पम्पिंग सेट मोटर, मोबाइल फोन एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामद
- चोरी की घटनाओं का अनावरण कर संबंधित मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 15.09.2026 को थाना रौनापार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम आराजी देवारा नैनीजोर (कोलवा) में पोखरे पर कृषि कार्य हेतु लगा पम्पिंग सेट मोटर अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था। वादी रविन्द्र सरोज की तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 263/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अफसर खाँ, सलाउद्दीन एवं मोनू सिंह के नाम प्रकाश में आए।

इसी क्रम में दिनांक 15.09.2026 को थाना तरवां क्षेत्रान्तर्गत तरवां बाजार से वादी आशुतोष गुप्ता की मोटरसाइकिल संख्या UP50DF9346 चोरी कर ली गई थी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना तरवां पर मु0अ0सं0 188/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सूरज तिवारी द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 16.09.2026 को थाना रौनापार पुलिस द्वारा उ0नि0 सिद्धेश्वर सिंह मय हमराह पुलिस टीम ने मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण अफसर खाँ, सलाउद्दीन एवं मोनू सिंह को हरदिहवा पकड़ीहवा चौराहा, थाना रौनापार से समय करीब 01:45 बजे गिरफ्तार किया।

वहीं थाना तरवां पुलिस द्वारा उ0नि0 सूरज तिवारी मय हमराह पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्तगण कमलेश राजभर एवं राहुल राम को पकड़ी मोड़ के पास पुलिया से समय करीब 11:10 बजे गिरफ्तार किया।

बरामदगी-

थाना रौनापार: 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल, 01 अदद मोटरसाइकिल एवं 01 अदद पम्पिंग सेट मोटर बरामद।

थाना तरवां: चोरी की 01 अदद स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल संख्या UP50DF9346, चेचिस नं0

MBLHAW4825SHL56313 बरामद।

बरामदगी के आधार पर दोनों मुकदमों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. अफसर खाँ पुत्र खालिद, निवासी आराजी देवारा करखिया, थाना रौनापार, उम्र 22 वर्ष।
2. सलाउद्दीन पुत्र वकील खाँ, निवासी आराजी देवारा करखिया, थाना रौनापार, उम्र 35 वर्ष।
3. मोनू सिंह पुत्र इन्द्रबहादुर सिंह, निवासी आराजी देवारा करखिया, थाना रौनापार, उम्र 19 वर्ष।
4. कमलेश राजभर पुत्र रामजीत राजभर, निवासी तरवां सरैया, थाना तरवां, उम्र करीब 35 वर्ष।
5. राहुल राम पुत्र आत्माराम, निवासी लौवरी, थाना तरवां, उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 263/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना रौनापार।

मु0अ0सं0 188/2026 धारा 303(2), 317(2), 3(5) बीएनएस, थाना तरवां।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना रौनापार से उ0नि0 सिद्धेश्वर सिंह मय पुलिस टीम तथा थाना तरवां से उ0नि0 सूरज तिवारी मय का0 अखिलेश पाण्डेय एवं का0 सूरज यादव द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

थाना-महराजगंज, जनपद-आजमगढ़

☐ थाना महराजगंज पुलिस ने गुमसुदा 11 वर्षीय किशोर को 05 घंटे के अंदर सकुशल बरामद किया

☐ त्वरित पुलिस कार्रवाई से किशोर को परिजनों के सुपुर्द किया गया, परिजनों ने पुलिस टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 15.09.2026 को संतोष निषाद पुत्र केदार निषाद, निवासी आराजी प्रगास सिंह मलहपुरवा, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा अपने 11 वर्षीय पुत्र किशन निषाद के घर से चले जाने एवं वापस न आने के संबंध में थाना महराजगंज पर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 222/26 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सुधीर पाण्डेय द्वारा की जा रही थी।

बरामदगी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय का0 अजीत कुमार सिंह एवं का0 प्रदीप कुमार यादव द्वारा तत्काल तलाश शुरू की गई। पुलिस टीम के अथक प्रयास से दिनांक 15.09.2026 को गुमसुदा किशन निषाद को आराजी प्रगास सिंह स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास बगीचे से समय 22:13 बजे सकुशल बरामद कर लिया गया। परिजनों द्वारा पहचान एवं तस्दीक किए जाने के उपरान्त किशोर को नियमानुसार उनके सुपुर्द कर दिया गया।

किशोर के सकुशल बरामद होने पर परिजनों ने राहत व्यक्त करते हुए थाना महराजगंज पुलिस टीम का हृदय से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 सुधीर पाण्डेय

का0 अजीत कुमार सिंह

का0 प्रदीप कुमार यादव, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 16.09.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्षन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 05 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 105000-105000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना मेहनगर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप में 05 आरोपी अभियुक्तों प्रत्येक को आजीवन कारावास व 105000-105000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

→ दिनांक-03.02.2017 को वादी मुकदमा प्रभात कुमार दूबे पुत्र स्व0 विरेन्द्र दूबे निवासी पटना अहियाई थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1.राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 कुलदीप पाण्डेय 2. टोन् पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय 3.उषा पाण्डेय पत्नी राजेन्द्र पाण्डेय 4. रीना पाण्डेय पत्नी टोन् पाण्डेय निवासीगण भीखमपुर थाना मेहनगर 5. शोभा पाण्डेय पत्नी कन्हैया लाल मिश्रा निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे पिता विरेन्द्र दूबे की गला दबाकर हत्या कर देना।

→ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0-47/2017 धारा-302,147,149 भादवि पंजीकृत किया गया।

→ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

→ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए हैं।

→ जिसके क्रम में आज दिनांक-16.09.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-4 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 कुलदीप पाण्डेय 2. टोन् पाण्डेय पुत्र राजेन्द्र पाण्डेय 3. उषा पाण्डेय पत्नी राजेन्द्र पाण्डेय 4. रीना पाण्डेय पत्नी टोन् पाण्डेय निवासीगण भीखमपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ तथा 5. शोभा पाण्डेय पत्नी कन्हैया लाल मिश्रा निवासी कस्बा मेहनगर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 105000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।